भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4758
दिनांक 21 अगस्त, 2025

पीएमयूवाई के तहत कवर किए गए बीपीएल / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार

†4758. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या एलपीजी मूल्य वृद्धि/आर्थिक तंगी के कारण पीएमयूवाई के अनेक लाभार्थी अपने गैस सिलेंडरों को पुनः भरवाने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम करने या उक्त श्रेणियों को राजसहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों सहित इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार पीएमयूवाई के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): देश भर में निर्धन परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रयोजन से पीएमयूवाई की शुरुआत मई, 2016 में की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में प्राप्त कर लिया गया था। शेष निर्धन परिवारों को कवर करने के निमित्त अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य जनवरी 2022 में प्राप्त कर लिया गया। उसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के

तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल किया गया। इसके अलावा, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की, जिसे जुलाई 2024 तक प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 01.08.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई के तहत कुल 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन में से 3.13 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन एससी/एसटी उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं।

पीएमयूवाई के तहत एससी/एसटी श्रेणी सहित एलपीजी कनेक्शनों के राज्य-यूटी-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-क** में दिए गए हैं।

पीएमयूवाई का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन, एलपीजी तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि जैसे पारंपरिक खाना बनाने के ईंधन के उपयोग से संबद्ध गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को कम करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, जो घर के अंदर गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। महिलाओं को खाना बनाने के ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग से लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम से मुक्ति मिलती है, खाना बनाने में लगने वाला समय कम होता है तथा वनों की कटाई पर रोक लगती है। पीएमयूवाई ने महत्वपूर्ण रूप से योगदान प्रदान करते हुए देश में एलपीजी कवरेज को अप्रैल 2016 के 62% से बढ़ाकर अब संतृप्ति के निकट पहुंचा दिया है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना बनाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

भारत, घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यों से जुड़े होते हैं। हालांकि, औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक) में 51% की (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से जून 2025 में 582 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक) वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य 38% (अगस्त 2023 में 903 रुपये से जुलाई 2025 में 553 रुपये तक) कम हो गए हैं।

पीएमयूवाई, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को लगभग 39 रुपये प्रति किलोग्राम के प्रभावी मूल्य पर घरेलू एलपीजी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलिंडर का खुदरा बिकी मूल्य 853 रुपये है। भारत सरकार, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान करने के बाद, 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलिंडर 553 रुपये प्रति सिलिंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

सरकार, पीएमयूवाई की शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक, सिलिंडर की सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस, डीजीसीसी बुकलेट तथा इन्सटॉलेशन चार्जेस हेतु प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन 1,600 रुपये तक का खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, यह खर्च 14.2 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपये प्रति कनेक्शन तथा 5 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी तक की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.01 (वित्त वर्ष 2019-20) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.95 तथा वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं एवं परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रमुख लाभों को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

(i) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप पारंपरिक खाना बनाने के तरीकों में बदलाव आया है, जिनमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस ईंधन जलाना शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर का वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों में जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं के श्वसन संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है।

(ii) परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दूरदराज के इलाकों में अक्सर अपना अधिक समय एवं ऊर्जा, पारंपरिक खाना बनाने के ईंधन इकठ्ठा करने में लगाते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं की मेहनत और खाना बनाने में लगने वाले समय को कम किया है। इस प्रकार से, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में किया जा सकता है।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी में परिवर्तन करने पर खाना बनाने हेतु लकड़ी तथा अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल परिवारों को लाभ होता है, बल्कि व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में भी योगदान प्राप्त होता है।

(iv) बेहतर खाना बनाने की सुविधाओं से पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन बनाना आसान हो सकता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा।

*****

अनुलग्नक- क

'पीएमयूवाई के तहत कवर किए गए बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार' के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4758 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.08.2025 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या, एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत कनेक्शन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या	एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत कनेक्शन
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,821	738
आंध्र प्रदेश	9,71,646	1,73,830
अरुणाचल प्रदेश	53,693	32,398
असम	50,94,836	8,79,820
बिहार	1,16,25,850	21,78,529
चंडीगढ़	2,025	44
छत्तीसगढ	38,00,896	17,25,397
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	17,744	13,626
दिल्ली	2,59,054	57,812
गोवा	1,949	568
गुजरात	43,06,668	10,40,847
हरियाणा	11,13,511	4,09,671
हिमाचल प्रदेश	1,50,540	46,860
जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश	12,69,306	2,87,658
झारखंड	38,93,059	12,35,042
कर्नाटक	41,42,489	12,59,828
केरल	3,87,490	77,935
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख	11,080	8,990
लक्षद्वीप	370	276
मध्य प्रदेश	88,45,322	34,71,797
महाराष्ट्र	52,13,333	14,67,777
मणिपुर	2,24,879	70,110
मेघालय	3,16,947	1,59,359
मिजोरम	35,986	28,318
नगालैंड	1,22,052	48,340
ओडिशा	55,47,762	20,40,026
पुदुचेरी	19,404	7,296
पंजाब	13,57,874	10,35,725
राजस्थान	73,77,106	29,73,818
सिक्किम	19,867	3,039
तमिलनाडु	40,97,131	12,69,194
तेलंगाना	11,82,834	5,06,275
त्रिपुरा	3,16,366	1,55,000
उत्तर प्रदेश	1,85,84,927	48,75,474
उत्तराखंड	5,29,539	1,53,687
पश्चिम बंगाल	1,23,72,495	36,41,007

स्रोत: ओएमसी पीएसयू की ओर से आईओसीएल